

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

गवालियर एवं व्यापक सुलभाधिक जीवाजी
विश्वविद्यालय के बारे में से भीया जब्ते हैं।
मुख्यमंत्री अवश्यक विश्वविद्यालय के बारे में यह
मुख्यमंत्री निम्न एवं वार्ता के बारे में यह
मुख्यमंत्री द्वारा दोनों विषयों के बारे में विस्तृत विवरण हैं।



प्राप्ति :
सुलभाधिक,
जीवाजी विश्वविद्यालय
व्यालियर
क्रमांकांक/सम्बन्धित/2012/ 5879

दिनांक: 04/01/2013

// संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर द्वारा दानापुर सब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एन्ड प्रॉफेशन, व्यालियर (0751-2432141) को
लव 2011-12 एवं 2012-13 के लिये प्रस्तावित संगठित जीएल प्रायोगिकों/विषयों की अलगावी सम्बन्धित
देखु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महानगर सभायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर द्वे
विश्वविद्यालय अधिकारियम् 1973 के वरिज्ञयम् 27(10) के अन्तर्गत विष्णामनुसार विशेष अधिसूचित का गठन किया है :-

(1) प्रौ. डी.एच. गोप्यामी, आवार्द, कम्बूटट साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., व्यालियर। (संस्थाजक)

(0751-2442841)

(2) प्रौ. विशेष वापट, आवार्द, समाजकर्म एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., व्यालियर।

(3) डॉ. वी.एल. यादव, शा. शिक्षा महाविद्यालय, व्यालियर।

(4) डॉ. आर.जी. गोप्यामी, आवार्द, पुस्तकालय एवं दूरवान विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., व्यालियर।

विशेषण समिति द्वे सदस्यों द्वे अनुग्रह हैं तो के वरिज्ञयम् 27/28 के प्रायोगिकों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रायोगिक
नियोजन कर द्वाल, शोलर टाई, गोप्यिक शैक्षणिक अधीक्षणिक ट्वर्ण, प्रायोगिक संस्था द्वे प्राया अनुग्रहित अनुप्रीति प्रमाण-पत्र,
गवाल, क्रीड़ा परिवर एवं पाठ्यदाता अधिकारियम् तथा विद्युते उन में दी गई शर्तों नारे पूर्ण होने पर एवं प्रगति पत्र के तथा
प्रायोगिक अधीक्षणिक एवं अधीक्षणिक स्ट्रॉक की विद्युतियों का प्रगति एवं वेतन आदि के बारे में राष्ट्र विवाद/अनुशंसाएँ गोप्यिक
दारे।

देखायी समिति द्वे वैदेह दिनांक 26 दिसंबर 2012 द्वे यद्व क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विष्णामनुसार
नियोजन समिति द्वारा 30 दिन द्वे गतविद्यालय का विशेषण कर 15 दिन द्वे विश्वविद्यालय कार्यालय द्वे नियोजन
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाते। तिसमें कि समारूप कार्यवाली (महाविद्यालय विशेषण यदि) 45 दिवान द्वे पूर्ण होने अक्षमी एवं
महाविद्यालय का विश्वविद्यालय प्राया दी जाते गली उत्त्वाची अनुबन्धता में विलक्ष नहीं होने एवं ज्ञान राज्य अनुबन्धता
संरचनी कार्यवाली पूर्ण हो राखनी तथा शालन के विद्युतों का यातन सुविधित किया जा सकेत।

गवाल के 45 दिवान में Report प्राप्त न होने की विद्युति में वह गवाल जाएगा कि गतविद्यालय का विशेषण नहीं हुआ
है। विष्णामनुसार अविद्यक ज्ञान कराकर वकील समिति गतित की जावेगी। जिसे 15 दिवान में विशेषण विधेय प्रस्तुत करना
अविवार्य दोगा। परिज्ञयम् 27(1)(7) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त किया जाने की प्रवेश देवा अपेक्षाकृत है।

विशेषण समिति द्वे साल सम्बन्धित शाला द्वे कार्यालय अधीक्षण / कार्यालय सहायक प्रजाती लेकर जावेंगे तथा
गतविद्यालय की विद्युतियों से नियोजन समिति को अपका करावेगे। विशेषण समिति के उदारों को दीए / गीए /
गवाल गतविद्यालय द्वारा देवा होगा।

Zm/3
मुलसमिति

प्रसिद्धिपूर्वक :

1. समस्त हृदयों नारे ओर सूचनार्त एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर गोप्यिक जागरूक है कि गमिते के संयोजक से संपर्क स्थापित करने
नियोजन दिनांक विधायित कर गतविद्यालय का विशेषण करावें। उक्त विशेषण 15 दिवान के अन्दर कराने की
व्यवस्था करें।
3. अनुप्रीति उत्त शिक्षा, लगापुड़ा भवन, गोपाल
4. कुलपाते के सारेव / कुलसमिति को विजी शालाक, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर

R
दातावक कुलसमिति (सम्बन्धित)